मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
गोरखपुर।

पृ0सं0/मा0प्रौ0वि0/4-1/ 6412 /2023 दिनांक : 18 अप्रैल, 2023

प्रभारी, वेबसाइट

कृपया राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्याः ई 2121/जी0एस0, दिनांक 06 अप्रैल, 2023 के सन्दर्भ में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति सम्बन्धी संलग्न विज्ञापन संख्याः ई-2052/2023, दिनांक 03 अप्रैल, 2023 की छायाप्रति इस आशय से प्रेषित है कि इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : उपरोक्त।

18/04/2023
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वै0 स0 कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. कुलसचिव कार्यालय (गार्ड फाईल)

कुलसचिव

राज भवन, लखनऊ

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई–2052/2023 दिनांक : अप्रैल 03, 2023

मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ0प्र0), जो कि उत्तर प्रदेश मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 2013) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त अधिनियम की धारा–11(2) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति के रूप में चयन के लिए केवल ऐसे व्यक्तियों पर विचार किया जायेगा जिन्होने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। कुलपति अपना पद तीन वर्ष की अवधि के लिये या 68 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, धारण करेगा।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी, अनुप्रयुक्त विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रबन्धन के किसी क्षेत्र में ख्याति प्राप्त ऐसा विद्वान होगा, जिसके पास उच्चतर शिक्षा के परास्नातक उपाधि स्तरीय संस्थान में प्रशासनिक अनुभव हो।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 08.05.2023 तक केवल **ऑनलाइन (Online)** प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।